भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4590
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में नल-जल का कनेक्शन

4590. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वित्त वर्ष 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कितने ग्रामीण परिवारों को नल-जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;
(ख) वर्तमान में उक्त जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत उक्त जिले में उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त 2019 से उत्तर प्रदेश सहित राज्यों की भागीदारी से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 25.03.2025 तक, लगभग 12.31 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस

प्रकार, 25.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.54 करोड़ (80.29%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 12.18 हजार (1.81%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 25.03.2025 तक, लगभग 6.23 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.03.2025 तक, खीरी जिले के 6.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 6.35 लाख (94.22%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाना, स्थायी जल संरक्षण व्यवहारों को प्रस्तुत करना आदि था। पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रैला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तथापि, उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत कोई परियोजना नहीं है।

*****